



453005867
xxv

पंजीकृत
कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०) द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402
पत्रांक:-पेंशन विविध/20238/ 644

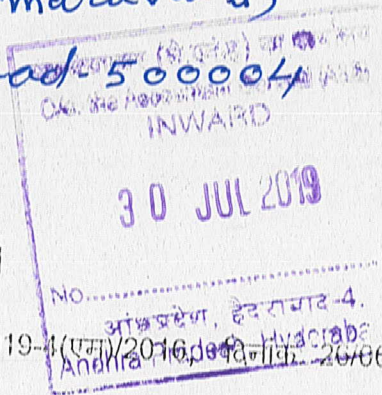
दिनांक:- 18/7/2019

रोचा में,

Accountant General CASE

Andhra Pradesh, (Amaravathi)

Saifabad, Hyderabad-500004



विषय:- पुनरीक्षित वेतन मतरिक्ष में वेतन निर्धारण।

शारनादेश:- 1-संख्या- /2019/वे०आ०-2-441/दस-2019-4(एन)/2016, दिनांक: 26/06/2019

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

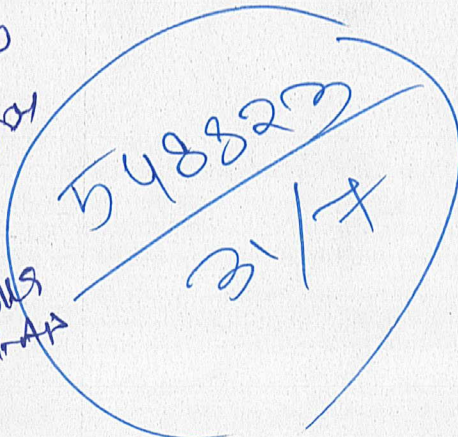
भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

TR NO: 351
17/07/19

Transferred to
PR-04-75 for
N.A.

17/07/19
AAO/PR-04



प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2019

विषय- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।

महोदय,

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना सम्बन्धी शासनादेश संख्या-67/2016/वेओआओ-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-(2) में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के विकल्प का चयन करने का प्राविधान किया गया है और यह भी कहा गया है कि एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाईयों को देखते हुये इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी है कि कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने का एक और अवसर दिया जाय। समान कठिनाई के निवारणार्थ व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-13/17/आईओसीओ/ईओ-III(ए), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा भारत सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिये अपना विकल्प पुनः चुनने का एक और अवसर दिया गया है।

2- उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुये राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों को जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का चयन पहले ही कर चुके हैं, उन्हें अपने पहले विकल्प को आदेश जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर संशोधित करने का एक और अवसर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaupsh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20238
pmj

SSADR-64

संशोधित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आO-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू है और जो उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से इन आदेशों के तहत संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुनः प्रयोग करेंगे, उनसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित संशोधित वेतन के फलस्वरूप उन्हें दी गयी बकाया राशि वसूल ली जायेगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2019/वे0आO-2-441(1)/दस-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Registered

Office of Accountant General(A&E) Second,
20, Sarojini Naidu, Marg U.P Allahabad,
Phones Off: 2622625-26 Fax: -0532-2624402
Lr. No. Pension Miscellaneous/20238/644
Date:18/7/2019

To,

Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh,(Amaravathi),
Saifabad,Hyderabad-500004.

Sub: Pay Fixation in Revised Pay Matrix.

Government Order: 1 No./2019/P.C.2-441/Ten-2019-4(M)/2016 Dt: 26.06.2019.

Sir,

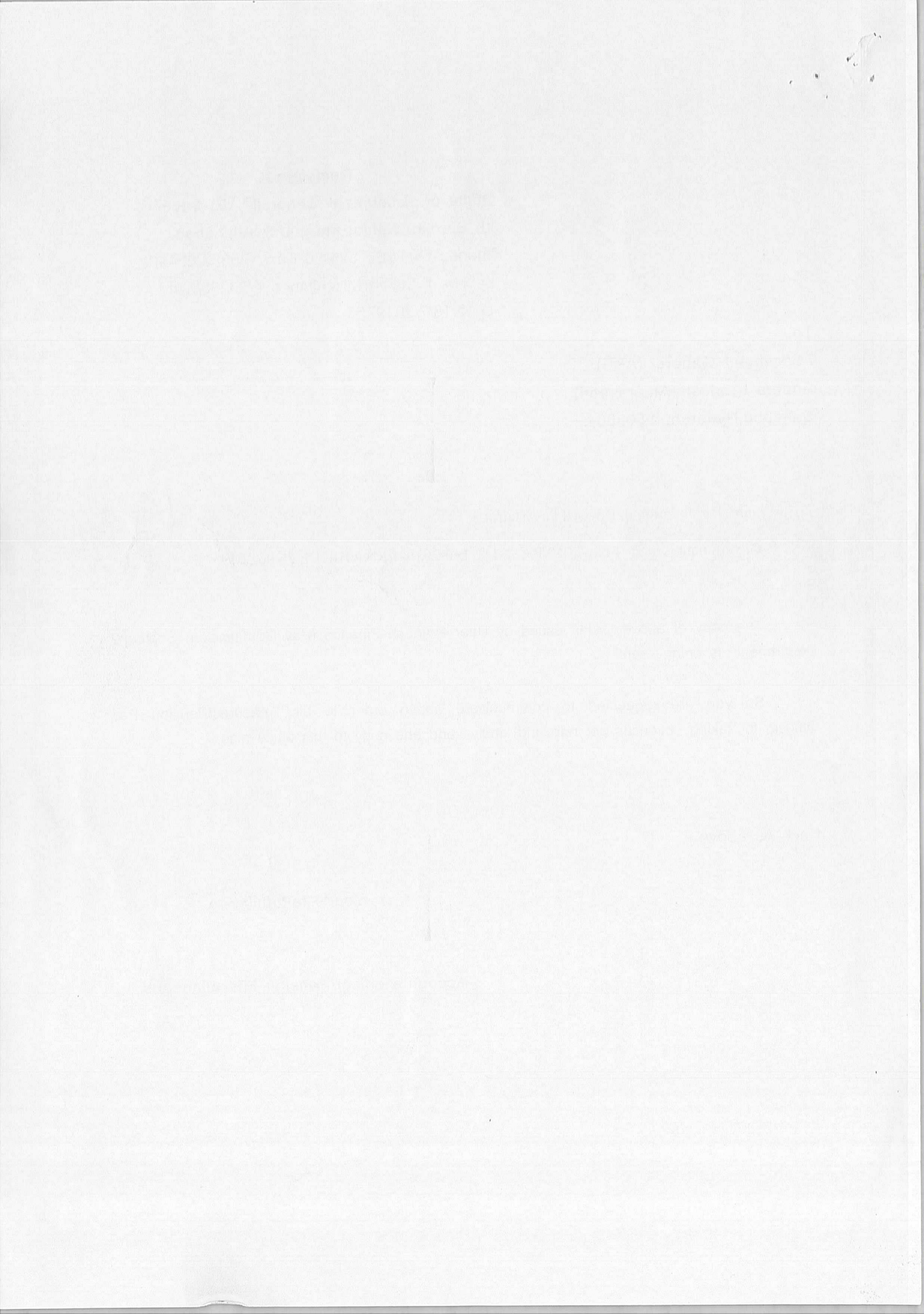
The copy of above Order issued by Uttar Pradesh Finance (Pay Commission) Section-2 Department is being sent.

So you are requested to communicate above order to all Treasures/Pension Pay Officers for taking action as per rule and kindly send one copy to this office also.

Encl: As above

Your's faithfully,

Accounts officer/Pension Miscellaneous



NO./2019/P.C.-2-441/Ten-2019-4(M)/2016

Sender,
Sanjeev Mittal,
Additional chief secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

All the Heads of departments/Chief Heads of Offices
Uttar Pradesh.

Finance (Pay commission) Section-2

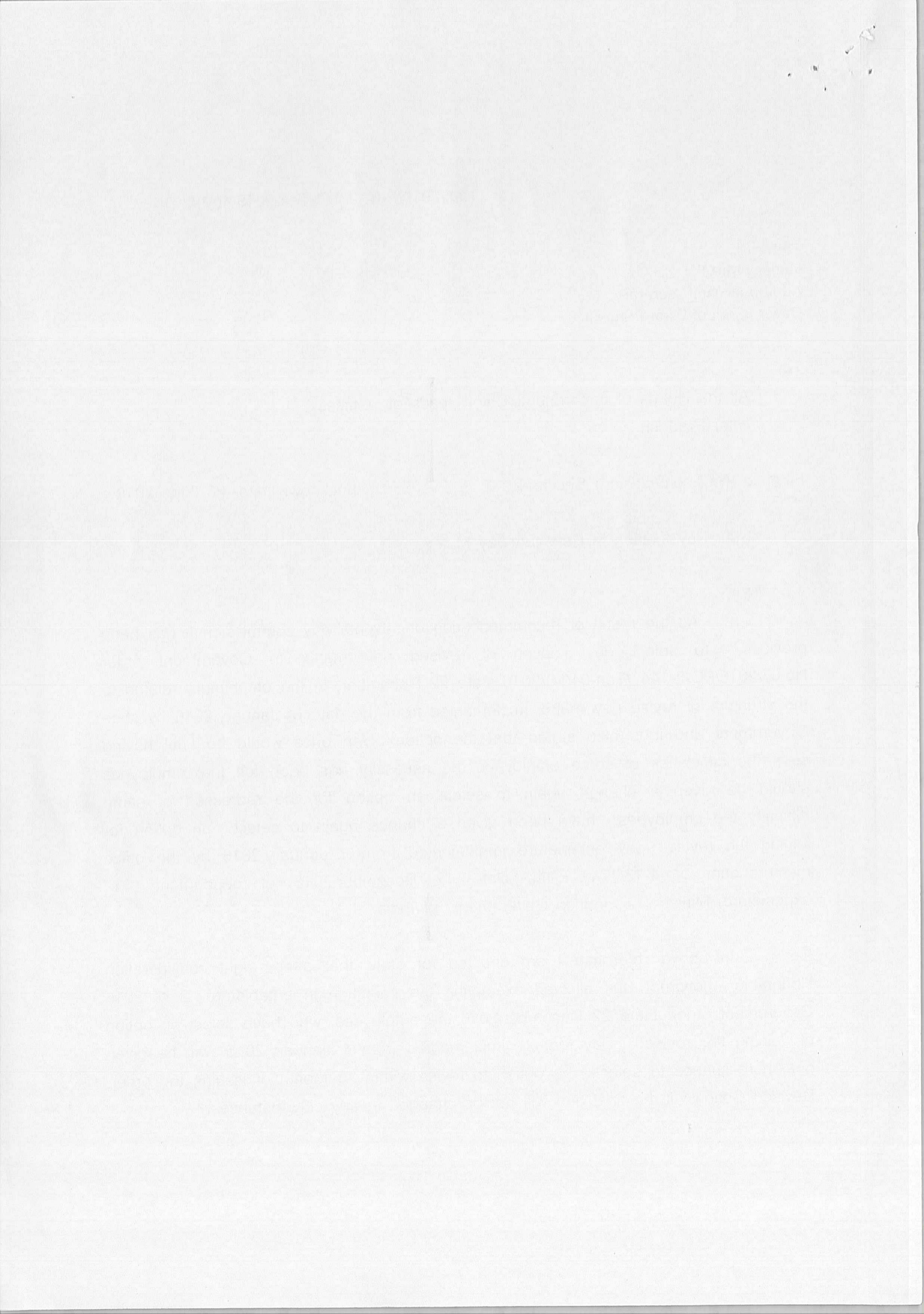
Lucknow: Date: 26 June 2019

Sub: Pay fixation in Re-vised Pay Matrix.

Sir,

As the result of recommendation of seventh pay commission It has been provides to select on option of revised pay matrix in Government order No.67/2016/PC-2-1447/Ten-04(M)/2016 Date 22 December, in the entablature related to the structure of revise pay matrix Implemented from the date of January,2016 by state Government and it is also stated that the option given once would be final having seen the difficulties of some employees the necessity has been felt that employees should be given a change again to select an option for the redressed of same difficulty the employees have been given a chance again to select an option for joining the revised pay entablature implemented from 1 January,2016 by the office memorandum No-4-13/17/I.C/E-III(A),Date 12 December,2018 of department of expenditure, Ministry of Finance Government of India.

2- In above reference I am directed for state that after right consideration Honorable governor has allowed exempting the condition in entablature -2 of 2016 Government order, Date 22 December,2016 the employees, who have select on option of Joining the revised Pay Matrix implemented from 1 January,2016, will be given one more chance to select the option to revise within 3 Month of issuing the order. Revised Option will be final and will not be changed in any circumstances.



The Government order No.67/2016/P.C-2-1447/Ten-04(M)/2016, Date 22 December,2016 the entablature-2 will be considered revised to this extent and other condition and restriction will be implemented as before .

3- It is also cleared that such employees who have selected option to join the pay structure revised from 1 January,2016 or revised pay structure is implemented from 1 January,2016 in their case or who will use their option to join the revised pay per Government order Date 22 December,2016 entablature-2, the arrears after withdrawn revised pay by the date of their selecting an option to join the pay structure revised 1 January,2016, will be collected.

Your's faithfully,
Sanjeev Mittal,
Additional chief secretary,

Copy to : Information and taking necessary action.

